रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 57] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 12, 2003/चैत्र 22, 1925
No. 57] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 12, 2003/CHAITRA 22, 1925

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 9 अप्रैल, 2003

सं. टीएएमपी/35/99-जेएनपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 54(1) के अधीन भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश का अनुपालन करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण अपने पूर्व आदेश सं. टीएएमपी/35/99-जेएनपीटी दिनांक 12 मई, 2000 को एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार रद्द करता है।

अनुसूची

मामला सं. टीएएमपी/35/99-जेएनपीटी

आदेश

(मार्च, 2003 के 31वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने मै. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन को आबंटित भूमि संबंधी पट्टे के निबंधन एवं शर्तों में जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास द्वारा किए गए संशोधनों को वापस लेने का अनुरोध करते हुए मै. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन संबंधी मामला सं. टीएएमपी/35/99-जेएनपीटी में 12 मई, 2000 को एक आदेश पारित किया था। यह आदेश 29 मई, 2000 को राजपत्र सं. 69 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।

2. पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. पीआर-14019/36/2001-पीजी दिनांक 26 सितम्बर, 2002 द्वारा सूचित किया है कि महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय के गुण-दोषों पर विचार किए बिना, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा बिना प्राधिकार के पारित आदेश को रद्द करना, उल्लिखित कारणों से, लोक हित में आवश्यक होगा। महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 54 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने इस प्राधिकरण को उसके द्वारा पारित आदेश को रद्द करने का निर्देश दिया है।

3. इस प्राधिकरण का मानना है कि संदर्भित आदेश को रद्द करने के अन्य मामलों पर विवक्षा के बारे में सरकार को सतर्क करना और धारा 54 के अधीन जारी किए गए निर्देश की पुष्टि करने के लिए कहना उचित होगा। तदनुसार, इस संदर्भ में पोत परिवहन मंत्रालय को दिनांक 9 अक्तूबर, 2002 को पत्र भेजा गया था।

4. पोत परिवहन मंत्रालय ने अपने पत्र सं. पी.आर.-14019/36/2001-पीजी दिनांक 26 मार्च, 2003 द्वारा स्पष्ट किया है कि यह प्राधिकरण संदर्भित आदेश को रद्द करे; और, यदि संबंधित पक्षों द्वारा सवाल उठाया जाता है तो बाकी मामलों में उपयुक्त समय पर मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जाएगा।

5. इस परिप्रेक्ष्य में, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 54(1) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देश का अनुपालन करते हुए, यह प्राधिकरण मामला सं. टीएएमपी/35/99-जेएनपीटी में 12 मई, 2000 को पारित अपना आदेश रद्द करता है।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/2003/असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 9th April, 2003

No. TAMP/35/99-JNPT.—In compliance of a direction issued by the Government of India under Section 54(1) of the Major Port Trusts Act, the Tariff Authority for Major Ports hereby cancels its earlier Order No. TAMP/35/99-JNPT dated 12 May, 2000, as in the Order appended hereto.

SCHEDULE

Case No. TAMP/35/99-JNPT

ORDER

(Passed on this 31st day of March, 2003)

This Authority had passed an Order on 12 May, 2000 in Case No.TAMP/35/99-JNPT relating to a representation made by M/s. Indian Oil Corporation requesting for withdrawal of modifications effected by the Jawaharlal Nehru Port Trust in the terms and conditions of lease relating to the land allotted to them. This Order was notified in the Gazette of India on 29 May, 2000 vide Gazette No. 69.

2. The Government of India in the Ministry of Shipping vide their letter No. PR-14019/36/2001-PG dated 26 September, 2002 conveyed that it would be necessary in public interest, for stated reasons, to cancel the Order passed without authority by the Tariff Authority for Major Ports, without going into the merits of the decision given by the Tariff Authority for Major Ports. In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 54 of the MPT Act, 1963, the Central Government has directed this Authority to cancel the Order passed by it.

3. This Authority found that it would be advisable to alert the Government about the implication on other cases of cancelling the Order in reference and seek confirmation of the direction issued under Section 54. Accordingly, a reference was made to the Ministry of Shipping on 9 October, 2002.

4. The Ministry of Shipping vide its letter No. PR-14019/36/2001-PG dated 26 March, 2003 has clarified that this Authority may go ahead with cancellation of the Order in reference; and, a view on the remaining cases may be taken at appropriate time on case to case basis, if the question is raised by concerned parties.

5. In this backdrop, in compliance with the direction given by the Central Government under Section 54(1) of the MPT Act, 1963, this Authority hereby cancels its Order passed on 12 May, 2000 in Case No.TAMP/35/99-JNPT.

A. L. BONGIRWAR, Chairman

[ADVT. III/IV/143/2003/Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.